संख्या--651 /एक-10-2023-33(36)/2023

प्रेषक,

प्रभु एन0 सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राहत आयुक्त ,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊः दिनांकः 08 मई, 2023

विषयः- मणिपुर में उत्पन्न आपातकालीन परिस्थितियों के दृष्टिगत मणिपुर से वापस आने वाले उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिये व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राहत आयुक्त कार्यालय के पत्र संख्या- 4137/2023-24/रा0आ0का0/, दिनांक 08.05.2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मणिपुर से वापस आने वाले उत्तर प्रदेश के नागरिकों की सुविधा हेतु उनके टिकट एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था पर होने वाले व्यय हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन **रू0 18,50,000/- (रू0 अठारह लाख पचास हजार मात्र)** की धनराशि राहत आयुक्त , उ0प्र0 के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2024 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(3) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(4) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **रूपये रू0 18,50,000/- (रू0 अठारह लाख पचास हजार मात्र)** चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000609 राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदा मद से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231-/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रभु एन0 सिंह)
सचिव।

संख्या- 651 (1)/एक-10-2023-33(36)/2023 , तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री , उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- स्टाफ आफिसर , मुख्य सचिव , उ0प्र0 शासन।
4- महालेखाकार प्रथमआडिट प्रथम/, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- प्रबन्ध निदेशक , उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निम, लखनऊ।
6- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी।
8- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन, लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि प्रसाद सिंह)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-08/05/2023

प्रेषण संख्या:- 651
आवंटन आदेश संख्या:- 001-651
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-4180-वरि0 वित्त एवं लेखाधिकारी- राहत आयुक्त सं0 , लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	1850000 1850000	1850000 1850000
	योग	वर्तमान प्रगामी	1850000 1850000	1850000 1850000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया अठारह लाख पचास हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया अठारह लाख पचास हजार

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

Digitally signed by akhilesh pratap singh
Reason: Allotment Completed
Location:Uttar Pradesh
Date:2023.05.08 04:30:30 +05:30